न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/13/2026	2026/30	18.02.2026	20.04.2026

1. छोटेलाल पुत्र भोन्दा उर्फ भौरैया जाति अहीर निवासी वजीर का बास तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज०।
2. सावित्री स्त्री श्रीचंद, जाति अहीर, निवासी वज़ीर का बस, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर राज।
3. योगेश पुत्र रामप्रसाद जाति अहीर उम्र करीब 14 वर्ष नाबालिग जरिये सरपरस्त माता खुद पुष्पादेवी पत्नी रामप्रसाद निवासी वजीर का बास तहसील लक्ष्मनगढ़ जिला अलवर राज०।
4. रामप्रसाद पुत्र छोटेलाल जाति अहीर निवासी वजीर का बास तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज०।
5. श्रीचंद (श्रीराम) पुत्र छोटेलाल जाति अहीर निवासी वजीर का वास तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज०।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रीति पुत्री रमेश उम्र करीब 12 वर्ष नाबालिग
2. रिंकी पुत्री रमेश उम्र करीब 10 वर्ष नाबालिग
3. राक्षी पुत्री रमेश उम्र करीब 9 वर्ष नाबालिग
   तीनो नाबालिगान जरिये सरपरस्त माता सुमित्रा बेवा रमेश चन्द जाति अहीर निवासी वजीर का बास तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज०।

——असल अप्रार्थीगण

4. उप पंजीयक बडौदा मेव जिला अलवर।
5. तहसीलदार लक्ष्मनगढ जिला अलवर।

—तर0 अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—

01— श्री मूलचन्द चौधरी —वकील प्रार्थीगण
02— श्री रवि गुप्ता, भानू प्रताप सिंह -- वकील अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में लंबित/विचाराधीन प्रकरण बउनवान प्रिती बनाम छोटेलाल प्रकरण सं. 1/21 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नाबालिग असल अप्रार्थीगण द्वारा जरिये माता सुमित्रा बेवा रमेश चन्द की ओर से अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर की समक्ष एक राजस्व वाद इस्तकरारहक बनुवानी प्रिती बनाम छोटेलाल मुकदमा नम्बर 1/21 दायर किया गया है। असल अप्रार्थीगण की माताजी सुमित्रा बेवा रमेश चन्द प्रभावशाली महिला है और उसने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लिया हुआ है तथा अपने प्रभाव में पीठासीन अधिकारी से मिल्लत कर दिनांक 29.10.2025 को प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान कातकारी अधिनियम कर अपने पक्ष में फैसला करा लिया। जिस बाबत मिन प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील दायर की हुई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के उक्त आदेश की जानकारी पीठासीन अधिकारी एवं सुमित्रा बेवा रमेश चन्द को पूरी तरह से है उसके बावजूद भी अधिनस्थ

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

न्यायालय द्वारा मूल वाद में आगामी कार्यवाही विधि विरुद्ध तरीके से कर रहे है और प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य में नियत है। पीठासीन अधिकारी सुमित्रा देवा रमेश चन्द के पूरी तरह प्रभाव में है तथा उक्त अपील के विचाराधीन होने के बावजूद भी प्रकरण में जल्दी जल्दी की तारीश पेशी नियत कर रहे है। उक्त प्रकरण में गत तारीख 09.09.2025 की नियत थी उसके पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 01–10–2025, 14–10–2025 तथा 14–10–2025 से 15–10–2025 की एवं उसके पश्चात 29–10–2025 नियत की गई है।

इस प्रकार तथा पीठासीन अधिकारी सुमित्रा बेवा रमेश चन्द से साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रहे है और सुमित्रा बेवा रमेश चन्द के कहे अनुसार कार्यवाही कर रहे है। यह कि सुमित्रा बेवा रमेश चन्द ने एलानिया तोर पर धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उनके मिलने वाले तथा उनसे बातचीत कर ली है और समस्त कार्यवाही उसके अनुसार ही होगी। पीठासीन अधिकारी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि उन पर सुमित्रा बेवा रमेश चन्द का उन पर दवाब है। जिससे प्रार्थी को यह अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करेंगे। पहले भी 212 का प्रा0पत्र अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया है। जिस स्थति में यह मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त वाद पंजीकृत दान पत्र के आधार पर किया गया है जो कि सिविल नेचर का है लेकिन पीठासीन अधिकारी को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी वाद में सुनवाई कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में विचाराधीन वाद बअनुवानी मिती बनाम छोटेलाल मुकदमा नम्बर 1/21/2024 को किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये।

अप्रार्थीगण अधिवक्तागण ने बहस के दौराने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार है। प्रार्थीगण मामले को लटकाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप लगाकर खुद लाभ लेने का प्रयास किया है। आवेदन "झूठे व गलत तथ्यों" के साथ दाखिल है, इसलिए खारिज किया जाना चाहिए। अतः निवेदन किया है कि "प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झूठे, बेबुनियाद, अस्पष्ट और भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, इसे खारिज किया जाए।"

-अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मुन्तकिल के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पैरा सं. 01. स्वीकार है। पैरा सं. 02. ला0 6 अस्वीकार है, निराधार है। पैरा सं. 07 ला0 10 कानूनी है। यदि उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल की जाती है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

-पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, दोनों पक्षों के तर्कों तथा अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी का अत्यंत सूक्ष्मता से अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रार्थी का मुख्य कथन है कि पीठासीन अधिकारी ने धारा 212 का प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के पक्ष में तय कर दिया है। किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा गुण–दोष के आधार पर पारित किया गया कोई भी न्यायिक या अंतरिम आदेश चाहे वह किसी भी पक्ष के विरुद्ध हो, न्यायालय के प्रति पक्षपात या दुर्भावना का आधार नहीं माना जा सकता। प्रार्थी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उसने उक्त आदेश के विरुद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील दायर कर रखी है। न्यायिक आदेशों के विरुद्ध विधिक उपचार (अपील/निगरानी) उपलब्ध है, न कि न्यायालय को बदलना। जहाँ तक प्रकरण में जल्दी–जल्दी तारीखें नियत करने का प्रश्न है, मुकदमों का त्वरित निस्तारण एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अल्प समयावधि की पेशियाँ नियत करने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि न्यायालय विपक्षी से साजबाज है। स्थानांतरण के लिए मात्र आशंका होना पर्याप्त नहीं है। पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य या तथ्य मौजूद नहीं है जो यह साबित करे कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी के दबाव या प्रभाव में कार्य कर रहे हैं। मात्र अप्रार्थी द्वारा कथित तौर पर धमकी देना या बातचीत कर लेने की बात कहना, सुनी–सुनाई

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

बातें न्यायालय की निष्पक्षता पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता। यद्यपि पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण मुंतकिल होने पर 'कोई आपत्ति नहीं' होने की बात कही है, परंतु न्यायालयों को केवल इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि पीठासीन अधिकारी को आपत्ति नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर मिलीभगत और दबाव के जो आरोप लगाए गए हैं, वे पूर्णतः मौखिक, अस्पष्ट और बिना किसी ठोस साक्ष्य के हैं। न्यायिक अधिकारियों पर इस प्रकार के निराधार और कपोल–कल्पित आरोप लगाकर मुकदमों को स्थानांतरित करवाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अधीनस्थ न्यायपालिका के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रार्थीगण के मन में उत्पन्न आशंका युक्तिसंगत नहीं मानी जा सकती। अतः समग्र परिस्थितियों और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय की निष्पक्षता पर संदेह का कोई ठोस आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। ऐसे आवेदन का उद्देश्य मुकदमे की कार्यवाही में विलम्ब करना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल बिना पर्याप्त कारण, तथ्य व सबूत/साक्ष्य के अभाव में सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में बिना किसी दवाब या पूर्वाग्रह के, गुण–दोष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही जारी रखें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)
राजस्थान